



## मंचर नगरपंचायत मंचर

दि.- २७/१२/२०२४

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

कराचे बिल

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५

(पोचपावती)

वार्ड क्र :

५

मालमत्ता क्र :

१३०५

भाग क्र :

जुना वार्ड क्र

६

जुना मालमत्ता क्र :

९२५

मालमत्ता धारक : श्री/श्रीमती :

परशुराम सुरलीधर गांजाळे

मालमत्तेचे वर्णन :

अपार्टमेंट

बिल क्र.

MNCHR78103

भोगवटदाराचे नाव : श्री/श्रीमती:

भाडेकरूचे नाव : श्री/श्रीमती :

दुकान / इमारतीचे नाव :

लक्ष्मी पूजन रेसिडेन्सी पिंपळगाव रोड गांजाळे मळा/C-२०४

पत्ता : लक्ष्मी पूजन रेसिडेन्सी पिंपळगाव रोड गांजाळे मळा

| कराचे विवरण   | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | म.शिक्षण कर रु | रोजगार हमी उपकर रु | अग्निशमन कर रु | उपयोगिता शुल्क रु | पाणी कर रु. | दिवाबती कर रु. | स्वच्छता कर रु | अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती | मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती | एकूण कर रु |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| थकीत मागणी रु |              |             |                |                    |                |                   |             |                |                |                              |                             |            |
| चालु मागणी रु | १७४५         | १०८         | १०८            |                    | ३५             | १८०               |             |                |                |                              |                             | २१७६       |
| एकूण कर रु    | १७४५         | १०८         | १०८            |                    | ३५             | १८०               |             |                |                |                              |                             | २१७६       |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती वेगळ्याची सही



## मंचर नगरपंचायत मंचर

दि.- २७/१२/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

कराचे बिल

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५

वार्ड क्र :

५

मालमत्ता क्र :

१३०५

भाग क्र :

जुना वार्ड क्र

६

जुना मालमत्ता क्र :

९२५

मालमत्ता धारक : श्री/श्रीमती :

परशुराम सुरलीधर गांजाळे

भोगवटदाराचे नाव : श्री/श्रीमती :

भाडेकरूचे नाव : श्री/श्रीमती :

दुकान / इमारतीचे नाव :

लक्ष्मी पूजन रेसिडेन्सी पिंपळगाव रोड गांजाळे

मालमत्तेचे वर्णन :

अपार्टमेंट

बिल क्र.:

MNCHR78103

पत्ता : लक्ष्मी पूजन रेसिडेन्सी पिंपळगाव रोड गांजाळे मळा



### सन २०२४-२५ करीता मागणी

| कराचे विवरण                      | थकीत मागणी रु | चालु मागणी रु | एकूण मागणी रु | वसुली                                | एकूण शिल्लक मागणी रु |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| १) संकलित कर रु                  |               | १७४५          | १७४५          | पत्रक क्र<br>पावती क्र<br>नियंत्रक - | १७४५                 |
| २) वृक्ष कर रु                   |               | १०८           | १०८           |                                      | १०८                  |
| ३) म.शिक्षण कर रु                |               | १०८           | १०८           |                                      | १०८                  |
| ४) रोजगार हमी उपकर रु            |               |               |               |                                      |                      |
| ५) अग्निशमन कर रु                |               | ३५            | ३५            |                                      | ३५                   |
| ६) उपयोगिता शुल्क रु             |               | १८०           | १८०           |                                      | १८०                  |
| ७) वि. स्वच्छता कर रु            |               |               |               |                                      |                      |
| ८) पाणी कर रु.                   |               |               |               |                                      |                      |
| ९) दिवाबती कर रु.                |               |               |               |                                      |                      |
| १०) अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती |               |               |               |                                      |                      |
| ११) मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती  |               |               |               |                                      |                      |
| अग्रिम रक्कम रु                  |               |               |               |                                      |                      |
| एकूण कर रु                       |               | २१७६          | २१७६          |                                      | २१७६                 |

१) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देव होतो.

|                          |              |          |             |                         |          |          |            |           |             |          |              |           |              |             |          |           |        |            |            |                     |           |          |      |            |          |
|--------------------------|--------------|----------|-------------|-------------------------|----------|----------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|----------|-----------|--------|------------|------------|---------------------|-----------|----------|------|------------|----------|
| २ )                      | महाराष्ट्र   | नगर      | परिषदा,     | नगरपंचायती              | व        | औद्योगिक | नगरी       | अधिनियम   | , १ ९ ६ ५   | कलम      | १ ५ ० ( ३ )  | अन्वये    | बिल          | दिल्यापासून | ३ ०      |           |        |            |            |                     |           |          |      |            |          |
| वसूलित                   | करात         | १        | टक्का       | सबलत                    | मिळेल.   | ३ )      | मागील      | कर        | आकारणीनुसार | थकबाजी   | शिल्लक       | असल्यास   | पुढील        | बिलात       | तामुन    | येईल.     | ४ )    | महाराष्ट्र | नगरपरिषदा, | नगरपंचायती          | व         | औद्योगिक | नगरी | अधिनियम    |          |
| १ ९ ६ ५                  | मधील         | (        | राजपत्र     | दि. २ ७ / ० ४ / २ ० १ ० | असाधारण  | भाग      | ४ )        | मधील      | सुधारीत     | कलम      | १ ५ ०        | अ         | ( १ )        | अन्वये      | मागणी    | बिलात     | थकीत   | रकमेचा     | पुर्व      | भरणा                | करेपर्यंत | प्रतिमाह | २ %  |            |          |
| मागणीवर                  | मागणी        | बिले     | दिल्यापासून | ९                       | ०        |          |            | दिवसानंतर | २           | %        |              |           | प्रतिमाह     | प्रमाणे     | शास्ती   | आकारण्यात | येईल.  |            |            |                     | ५ )       |          |      |            |          |
| तो                       | वसूल         | करण्याचा | सर्व        | खर्च                    | कलम      | १        | ५          | २         |             |          |              | अन्वये    | मुख्याधिकारी | यांच्या     | सहीने    | वॉरंट     | (      | अधिपत्र)   |            |                     |           |          |      |            |          |
| शिडी                     | कलम          | वसुलीस   | पाव         | असेल.                   | ६ )      | जप्त     | केलेल्या   | स्थावर    | मालमतेबाबत  | मा.      | जिल्हाधिकारी | यांची     | पुर्व        | मान्यतेने   | नगर      | परिषदेला  | नाममाव | रक्कमेत    | आपली       | स्थावर              | मालमत्ता  | ताब्यात  | घेता | येईल.      | ७ )      |
| बिल                      | बजावल्यामुळे | बांधकाम  | परवानगी     | मिळाली                  | अथवा     | बांधकाम  | कायदेशीर   | आहे       | किंवा       | मातकीची  | आहे          | असे       | समजण्यात     | येऊ         | नये.     | ८ )       | सदर    | देयक       | दि.        | २ ० / १ २ / २ ० २ ४ |           |          |      |            |          |
| समू                      | करण्यात      | येत      | आहेत.       | त्यानुसार               | त्यानंतर | कराची    | रक्कम      | अदा       | केली        | असल्यास, | भरलेली       | रक्कम     | सदर          | बिलानुन     | समाप्तीत | केली      | जाईल.  | सदर        | मिळकत      | नोंद                | ही        | केवळ     | कर   | आकारणीसाठी | आहे. ९ ) |
| सदरची                    | प्रत         | ही       | कबत         | मालमत्ता                | कर       | वसुली    | करण्यासाठी | असून      |             |          |              | कोणत्याही | कायदेशीर     | बाबीसाठी    | नाही.    |           |        |            |            |                     |           |          |      | १ ० )      |          |
| ब्राह्म धरण्यात येऊ नये. |              |          |             |                         |          |          |            |           |             |          |              |           |              |             |          |           |        |            |            |                     |           |          |      |            |          |

ह्याच धरण्यात येऊ नये.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण                      | डिसे-२४ | जाने-२५ | फेब्रु-२५ | मार्च-२५ |
|----------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम रु          |         |         |           |          |
| पहिली अर्धवार्षिक मागणी रु | १०८८    | २१७६    | २१७६      | २१७६     |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | १०८८    |         |           |          |
| एकूण देय रक्कम रु          | २१७६    | २१७६    | २१७६      | २१७६     |

वसुली लिपिक

मो. नं. 9860537051

वसुली लिपिक

मो. नं 9970300493

कर निरीक्षक

मंचर नगरपंचायत मंचर

मुख्याधिकारी

मंचर नगरपंचायत मंचर



ऑनलाईन भरणा करण्याकरिता खालील कार्यपद्धतीचा वापर करावा



➤ कराचा ऑनलाईन भरण्याकरिता **Mancharmp.org** या संकेत स्थळावर जाऊन **Property tax** वर **click** करून सदर मागणी देयकावरील वार्ड क्र. व मालमत्ता क्र. प्रविष्ट करावा.

➤ **PAY** या **BUTTON** वर **CLICK** करून आपला मोबाइल नं. व ई-मेल टाकणे व **PAY NOW** वर **CLICK** करणे .खालीलपैकी **CARDS, NETBANKING** किंवा **UPI** चा वापर करून भरणा करावा

टीप :- सदर देयकात कुठलीही त्रुटी/चुक असल्यास दुरुस्तीच्या अधिन राहून देयक देण्यात येत आहे.